कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 5066 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 30-5- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – **चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/31090/2017**

संदर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,लोहाघाट की पत्र संख्या 625/6 C दिनांक 30.05.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 2407/12–1 दिनांक 24.05.2024 द्वारा तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रषित की जा रही है:–

क्र0 सं0	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1.	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0 एम0 एल0 फाईल में अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर दिया गया है।
2	स्थिति स्पष्ट नहीं कि गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है।
3	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया है कि मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जाएगी , उसे प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

Kandpal

(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

Kandpal

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

उत्तराखण्ड शासन

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

पत्रांक 625 /6C   दिनांक 30/ 05 / 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
प्राप्ति पत्रांक 9862
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 30-5-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय— जनपद—चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर—पिथौरागढ एन0एच0 125 (नया—09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वनभूमि का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2407/12—1: देहरादून दिनांक 24.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सम्बोधित तथा पृष्ठांकित आपको एवं इस कार्यालय को है, के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः—

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर अपलोड कर दी गयी है।
2	स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं।	निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 458/चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 20.04.2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 एवं आपके पत्रांक 4719/12—1 चम्पावत दिनांक 04.05.2024 के निराकरण क्रमांक संख्या 1 में भी स्पष्ट कर दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
3	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जायेगी, उसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(इं. आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

पत्रांक /   दिनांक / 05 / 2024

प्रतिलिपि— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट